



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2945 वर्ष 2026

महावीर सिंह
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : जय प्रकाश सिंह
के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

प्रतिवादी(यों)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- दिनांक 24.04.2025 के एक आदेश के विरुद्ध, उपजेडए एवं एनआर अधिनियम, 1950 की धारा 331(3) के तहत प्रदान की गई वैधानिक अपील याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दायर की गई थी, जिसे मामला संख्या 2945/2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या C202501000002945 के रूप में क्रमांकित किया गया था।
- हालांकि उपर्युक्त अपील स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन दिनांक 30.10.2025 के आदेश द्वारा अंतरिम आदेश प्रदान करने के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।
- कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को सीमित करते हुए प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), आगरा मंडल, आगरा को उपरोक्त अपील का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
- मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मुद्दे के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), आगरा मंडल, आगरा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अपील का निर्णय कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"